न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारीः—**रमेश देव** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः—513 / 2022

वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्याः— 88 / 53 आरटीए

1. ध्रुव ढूंढाड़ा पुत्र सुभाष चन्द्र वर्मा जाति कुम्हार निवासी किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. हरीश कुमार पुत्र रोहिताश कुमार जाति कुम्हार निवासी किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

— वादी

बनाम्

1. बद्रीराम उर्फ बद्रीप्रसाद पुत्र रामचंद जाति कुम्हार निवासी किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला
2. सुभाषचद्र पुत्र बद्रीप्रसाद जाति कुम्हार निवासी किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
3. रोहिताश पुत्र बद्रीप्रसाद जाति कुम्हार निवासी किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
4. निर्मलादेवी पत्नी श्रीराम पुत्री बद्रीप्रसाद जाति कुम्हार निवासी महियावाली तहसील व जिला श्री गंगानगर
5. शकुन्तला देवी पत्नी राजेन्द्र कुमार पुत्री बद्रीप्रसाद जाति कुम्हार निवासी अमरपुरा तहसील अबोहर
6. रानी देवी पत्नी लालचंद पुत्री बद्रीप्रसाद जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं. 10 मकान नं. 57 मण्डी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज)
7. वेदवंती देवी पत्नी महावीर पुत्री बद्रीप्रसाद जाति कुम्हार निवासी वार्ड 19 सुभाष नगर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ (राज)
8. मीना पत्नी ओमप्रकाश पुत्री बद्रीप्रसाद जाति कुम्हार निवासी कलरखेडा तहसील अबोहर पंजाब.
9. शाखा प्रबंधक ऑबीसी बैंक शाखा सादुलशहर जिला श्री गंगानगर ।
10. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।

प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित :—

1. श्री कुलदीप मूण्ड— वादी
2. श्री हनुमन्त चौधरी — प्रतिवादी सं. 1 ता 8

निर्णय दिनांक 20.12.2022

अधिवक्ता वादीगण द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार चक 13 पीटीपी जमाबंदी संवत् 2073—76 खाता सं. 44 / 45 में 0.253 है0 एवं खाता सं. 43 / 71 में 1.012 है. व चक 10 पीटीपी के जमाबंदी संवत 2070—73 खाता सं. 69 / 57 में 1.265 है. वादीगण के दादा प्रतिवादी सं. 1 बद्रीराम उर्फ बद्रीप्रसाद के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रमाणित प्रति वाद पत्र के साथ संलग्न है।

यह है कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि पैतृक होने के कारण वादीगण का व प्रतिवादीगण 1 ता 8 का विरासतन हक व हिस्सा बनता है। कृषि भूमि को लेकर वादीगण व प्रतिवादीगण 1 ता 8 के मध्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहसत रास्ता, खाला व अच्दी मंदी भूमि को लेकर घरू बंटवारा हो चुका हैं घरा घरू बंटवारानाम में वादी सं. 1 ध्रुव ढंढाडा पुत्र सुभाषचन्द्र को चक 13 पीटीपी जमाबंदी संवत् 2073—76 खाता सं. 44 / 45 में 0.253 है0 एवं खाता सं. 43 / 71 में 1.012 है. कुल 1.265 है. कृषि भूमि आई है। वादी सं. 2 हरीश कुमार पुत्र रोहिताश कुमार को चक 10 पीटीपी के जमाबंदी संवत 2070—73 खाता सं. 69 / 57 में 1.265 है. मय गै.मु. कृषि भूमि आई है तथा प्रतिवादी सं. 1 ने पूर्व में प्रतिवादी सं. 2 को चक 13 पीटीपी खाता सं. 121 / 43 में व प्रतिवादी सं. 3 को चक 10 पीटीपी के खाता सं. में हिस्सा दे दिया है। इस लिये प्रतिवादी सं. 2 व 3 अपनी पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि में से कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहते है ता प्रतिवादी सं. 4 ता 8 जो कि वादीगण की बुआ अपने पिता प्रतिवादी सं. 1 बद्रीराम उर्फ बद्रीप्रसाद के नाम दर्ज कृषि भूमि में से कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती है क्योकिं उन्होने अपना हिस्सा वादीगण के हक में बहिब त्याग दिया है। गांव किशनपुरा उतराधा का मकान व बैंक नगदी अपने हक व हिस्सा में रख लिया है धरा घरू बंटवारानामा के रोज से वादीगण की घरू बंटवारा में मिली भूमि पर शांतिपूर्वक कब्जाकाश्त को लेकर आज वादीगण कब्जाकाश्त अनुसार खातेदार काश्तकार कहलाने के अधिकारी व दावेदार है।

यह है कि घरू बटवारानामा अनुसार वाद भूमि वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने के कारण बिना वजह सीवबंट, रकमराज आदि को लेकर विवाद रहता है। जबकि वादी घराघरू बंटवारानामा अनुसार वाद भूमि का विरासतन खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है।

यह है कि गत सप्ताह वादीगण ने प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि वो वाद भूमि में घरू बंटवारा अनुसार हम वादीगण को चक 13 पीटीपी जमाबंदी संवत् 2073—76 खाता सं. 44/45 में 0.253 है0 एवं खाता सं. 43/71 में 1.012 है. व चक 10 पीटीपी के जमाबंदी संवत 2070—73 खाता सं. 69/57 में 1.265 है. मय गै. मु का खातेदार काश्तकार मानकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाकर प्रतिवादी सं. 1 अपना नाम कलमजन करवा ले तो वह पहले तो आज कल आज कल करते रहे परन्तु कल ऐसा करने से कतई इनकार हो गये है।

अतः वाद वादीगण पेश कर निवेदन कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के निम्न प्रकार से डिक्री फरमाई जावें—

(क) वादी सं 1 के हक हिस्सा की कृषि भूमिः—
चक 13 पीटीपी जमाबंदी संवत् 2073—76 खाता सं. 44/45 में 0.253 है0 एवं इसी चक के खाता सं. 43/71 में 1.012 है. कुल 1.265 है0 कृषि भूमि

(ख) वादी सं. 2 के हक हिस्सा की कृषि भूमिः—
चक 10 पीटीपी के जमाबंदी संवत 2070—73 खाता सं. 69/57 में 1.265 है.

उक्तानुसार चक 13 पीटीपी जमाबंदी संवत् 2073—76 खाता सं. 44/45 में 0.253 है0 एवं खाता सं. 43/71 में 1.012 है. व चक 10 पीटीपी के जमाबंदी संवत 2070—73 खाता सं. 69/57 में 1.265 मय गै0मु0 रकबे से प्रतिवादी सं. 1 बद्रीराम उर्फ बद्रीप्रसाद का नाम कलमजन किया जावे।

वाद—पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई प्रतिवादी सं. 1 ता 8 की ओर से जवाब दावा पेश किया और निवेदन कि वादी वाद डिक्री किया जाता है तो कोई उज्र एतराज नहीं है पेश किया गया। प्रतिवादी सं. 9 आवाज लगाई गई हाजिर नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी सं. 10 ने हाजिर आकर जवाब स्टेट पेश किया। वादी ने शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया। वकील प्रतिवादी ने निवेदन किया कि साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं करना चाहते है। अतः साक्ष्य प्रतिवादी बंद किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। बहस वकील वादी एवं प्रतिवादी पक्ष सुनी गई। बहस सुनने व पत्रावली के अवलोकन किया। वादीगण एव प्रतिवादी सं. 1 ता 8 वाद पत्र/जवाब दावा से स्पष्ट है तथा कब्जा काश्त या अन्य कोई विवाद प्रतीत नहीं होता है। प्रश्नगत आराजी पर वादीगण पूर्व से घरू बंटवारे के मुताबिक काबिज है न्यायालय के मत में दोनो पक्षों में कोई विवाद नहीं है अतः तनकीयात की भी आवश्यकता नहीं है। वादीगण वाद की दफा 8 अनुसार घोषणात्मक डिक्री करवाने के अधिकारी है। वादीगण वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाता है कि वादी सं 1 के हक व हिस्सा में चक 13 पीटीपी जमाबंदी संवत् 2073—76 खाता सं. 44/45 में 0.253 है0 एवं इसी चक के खाता सं. 43/71 में 1.012 है. कुल 1.265 है0 कृषि भूमि व वादी सं. 2 के हक हिस्सा की कृषि भूमि चक 10 पीटीपी के जमाबंदी संवत 2070—73 खाता सं. 69/57 में 1.265 है. भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व इसी अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 बद्रीराम उर्फ बद्रीप्रसाद का हिस्सा कम/कलमजन किया जावे। रकम राज अलग से कायम हो। वाद पत्र पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 20/12/2022 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

नोटः— उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः–रमेश देव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 513/2022

1 ध्रुव ढूंढाड़ा पुत्र सुभाष चन्द्र वर्मा जाति कुम्हार निवासी किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

2 हरीश कुमार पुत्र रोहिताश कुमार जाति कुम्हार निवासी किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

– वादी

बनाम्

1. बद्रीराम उर्फ बद्रीप्रसाद पुत्र रामचंद जाति कुम्हार निवासी किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला
2. सुभाषचद्र पुत्र बद्रीप्रसाद जाति कुम्हार निवासी किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
3. रोहिताश पुत्र बद्रीप्रसाद जाति कुम्हार निवासी किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
4. निर्मलादेवी पत्नी श्रीराम पुत्री बद्रीप्रसाद जाति कुम्हार निवासी महियावाली तहसील व जिला श्री गंगानगर
5. शकुन्तला देवी पत्नी राजेन्द्र कुमार पुत्री बद्रीप्रसाद जाति कुम्हार निवासी अमरपुरा तहसील अबोहर
6. रानी देवी पत्नी लालचंद पुत्री बद्रीप्रसाद जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं. 10 मकान नं. 57 मण्डी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज)
7. वेदवंती देवी पत्नी महावीर पुत्री बद्रीप्रसाद जाति कुम्हार निवासी वार्ड 19 सुभाष नगर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ (राज)
8. मीना पत्नी ओमप्रकाश पुत्री बद्रीप्रसाद जाति कुम्हार निवासी कलरखेडा तहसील अबोहर पंजाब.
9. शाखा प्रबंधक ऑबीसी बैंक शाखा सादुलशहर जिला श्री गंगानगर ।
10. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ रमेश देव आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री कुलदीप मूण्ड वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री हनुमन्त चौधरी वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती हैः– प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि चक 13 पीटीपी जमाबंदी संवत् 2073–76 खाता सं. 44/45 में 0.253 है0 एवं इसी चक के खाता सं. 43/71 में 1.012 है. कुल 1.265 है0 का वादी सं. 1 व चक 10 पीटीपी के जमाबंदी संवत 2070–73 खाता सं. 69/57 में 1.265 है. भूमि का वादी सं. को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का उक्तानुसार हिस्सा कम किया जाने के आदेश दिये जाते है

नोटः– उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज.....Nil.........नल....Nil.....मुब्लिक....Nil......निल....Nil.....बाबत्.....Nil......निल...Nil....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक... Nil.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 20/12/2022 को जारी किया गया।

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official